उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001

हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, +91–9151024463

Website:www.upsmfac.org Email:upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–10408/25 दिनांक 29.12.25

अनुस्मारक–1

अति आवश्यक / महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
समस्त नर्सिंग व सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख संस्थान
उत्तर प्रदेश।

विषय–दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विषयक शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

शैक्षणिक सत्र 2025–26 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी समय–सारिणी / दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित किया जाए। इस संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या–9567 / 25 दिनांक 21.11.2025 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में आपको पुनः सूचित करना है कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी से सम्बद्धता प्राप्त समस्त नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्रों को निर्देशित किया जाता है कि मास्टर डाटा का सत्यापन का कार्य करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों को कार्यालय द्वारा जिस पाठ्यक्रम में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण की सम्बद्धता प्राप्त है केवल उसी पाठ्यक्रम के ही पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण शुल्क, आदि सूचनाएं छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करें।

प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता शासन के शासनादेश द्वारा दी गई तथा इस कार्यालय की सम्बद्धता पत्र में अंकित नाम से अतिरिक्त अन्य किसी नाम से वेबसाइट **https://scholarship.up.gov.in** पर रजिस्टर है तो प्रशिक्षण केन्द्र को निर्देशित किया जाता है कि **इस कार्यालय द्वारा जिस नाम से सम्बद्धता प्राप्त है एवं वर्तमान में संचालित है (इस कार्यालय वेबसाइट पर दर्ज) उसी नाम से ही https://scholarship.up.gov.in** पर रजिस्टर कर नर्सिंग / पैरामेडिकल कोर्सवार ही डाटा अपलोड करें एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त कुल सीटों की संख्या के सापेक्ष अधिक संख्या में छात्र / छात्राओं को सत्यापित न करें अन्यथा उन्हें कार्यालय द्वारा डिजिटल लॉक किया जाना सम्भव नहीं होगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान का होगा। AISHE CODE की प्रक्रिया प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्वयं AISHE PORTAL पर की जायेगी।

समस्त प्रशिक्षण संस्थानों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी समय–सारिणी / दिशा–निर्देशों का अनुपालन ससमय करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में प्रशिक्षण केन्द्र स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।